उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में ट्रांसलेटर, सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय), सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय) के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 21.01.2013 **प्रारंभिक परीक्षा दिनांक : 17.02.2013**

उपरोक्त (नियमित) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के **ऑनलाइन** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और विधि - मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट **https://www.mphighcourt.nic.in** पर विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट - "अ"** में दी गई है

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 21.01.2013 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

खण्ड "ब"

विज्ञापित पदों का विवरण

(I) पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :-

	पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	अतिरिक्त योग्यता
(1)	ट्रांसलेटर 9300-34800 + ग्रेड पे 3200 (उच्च न्यायालय)	07	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. हिन्दी व अंग्रेजी का ज्ञान। 3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।	हिन्दी व अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान।
(2)	सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (उच्च न्यायालय)	35	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	डाटा एन्ट्री ऑपरेशन का ज्ञान।
(3)	सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	14	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
(4)	सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (जिला न्यायालय)	241	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का ज्ञान।
(5)	सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) 5200 - 20200 + ग्रेड पे 1900 (जिला न्यायालय)	15	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	हिन्दी स्टेनोग्राफी का ज्ञान।
	कुल पद	**312**		

जिला न्यायालयों से संबंधित पदों हेतु टीप :-

(1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) प्रारंभिक परीक्षा दिनांक तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतिरिक्त योग्यता हेतु संबंधित विषय/ज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(2) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-3-11/08/3/एक दिनांक 12.06.2009 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे :-

1. Diploma from All Universities recognized by UGC.
2. Diploma from All Open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. M.O.M. Course from Govt. Polytechnic College.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबंधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी.ए., बी.कॉम. या बी.एससी. में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। (जैसा कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं. 1925/2010, आई.एल.आर. (2011) म.प्र. 1847 (डी.बी.) में अभिनिर्धारित किया गया है)

(i) प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित पदों की अनुमानित संख्या :-

क्र.	पद का नाम	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनु. जाति			अनु. जनजाति			योग
		सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	
1.	ट्रांसलेटर (उच्च न्यायालय)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	07
2.	सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय)	9	-	-	1	-	-	3	-	-	21	-	1	35
3.	सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	5	2	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	14
4.	सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय)	88	27	11	24	0	2	33	1	2	42	9	2	241
5.	सहायक ग्रेड-3 इंग्लिश नोइंग) जिला न्यायालय	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	योग													**312**

नोट - जिला न्यायालयों से संबंधित पदों की जिलेवार रिक्तियों का विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट **https://www.mphighcourt.nic.in** पर देखा जा सकता है।

नोट :-

(1) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित हैं।

(2) अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी केन्द्र को परीक्षा हेतु चुन सकता है। परन्तु किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) को उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को अन्य समीपस्थ केन्द्र पर स्थानांतरित करते हुए परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने का अधिकार होगा। मुख्य परीक्षा हेतु केन्द्र का निर्धारण प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) द्वारा किया जावेगा।

(3) अभ्यर्थी सभी पद प्रवर्ग या उनमें से किन्ही के लिये एक ही आवेदन पत्र के द्वारा ऑन-लाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन एक से अधिक पद प्रवर्ग हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का चयन उसके पसंद के पद प्रवर्ग पर नहीं किया जावेगा बल्कि एक से अधिक पद हेतु सफल अभ्यर्थी को पद प्रवर्ग 1. ट्रांसलेटर 2. सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय), 3. सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय), 4. सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) एवं 5. सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) के घटते क्रम में अधिमान्यता देते हुए केवल एक पद हेतु चयनित किया जावेगा।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णांक (passing marks) पाने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रत्येक पद के लिये पृथक आवेदन एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज/फोटोग्राफ भेजना आवश्यक हैं।

(5) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम दिनांक से 15 दिन में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड-482001 में पहुँचना आवश्यक है। नियत अवधि में आवेदन व दस्तावेज प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जावेगा। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जावेगा।

(6) जिला न्यायालयों के पदों से संबंधित अभ्यर्थी, नियुक्ति हेतु, अपनी पसंद के अनुसार दो जिलों को आवेदन में दर्शित कर सकते हैं। पसंद के जिले में पद भर जाने पर उच्च न्यायालय को उस अभ्यर्थी को अन्य किसी भी जिले में चयनित एवं नियुक्त किये जाने का अधिकार होगा। उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश में कार्यरत् किसी भी न्यायालय/कार्यालय में एवं किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।

(7) जिला न्यायालयों के पदों से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति होने पर तीन वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

खण्ड "स"

(1) आयु की गणना :-

दिनांक 01.01.2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-

1. पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग) = 35 वर्ष
2. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग.) = 40 वर्ष
3. महिला आवेदक (सामान्य वर्ग) = 35 + 10 = 45 वर्ष
4. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग.) = 35 + 5 + 10 = 50 वर्ष
5. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग) = 35 + 10 + 5 = 50 वर्ष
6. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग.) = 35 + 5 + 10 + 5 = 55 वर्ष

नोट :- शासकीय सेवारत कर्मचारियों को 38 वर्ष तथा विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।

(2) परीक्षा शुल्क : - परीक्षा शुल्क ऑनलाइन देय होगा।

1. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे आते हैं तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये परीक्षा शुल्क न्यूनतम 200/- + 60/- रुपये देय होंगे।
2. शेष सभी आवेदकों तथा मध्यप्रदेश के बाहर के सभी आवेदकों के लिये परीक्षा शुल्क न्यूनतम रुपये 300/- + 60/- देय होंगे।

(3) परीक्षा की योजना :-

(अ) प्रारंभिक परीक्षा (उपरोक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु) - (100 अंक) -

प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिनांक को व एक ही समय में निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी।

परीक्षा केन्द्र - 1. जबलपुर, 2. इंदौर, 3. भोपाल 4. ग्वालियर 5. रीवा 6. सागर 7. उज्जैन 8. सिवनी 9. छतरपुर 10. बालाघाट एवं 11. होशंगाबाद।

प्रवेश पत्र - प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा दिनांक से 15 दिवस पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

4. यात्रा व्यय का भुगतान :- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये, मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो अजा/अजजा/अपिव श्रेणी में आते हों और कहीं सेवारत न हों, को उनके निवास स्थान से निकटतम परीक्षा केन्द्र के शहर तक का ही यात्रा व्यय देय होगा।

परीक्षा में सम्मिलित होने पर म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वांछित घोषणा पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यात्रा वापसी के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर किया जाएगा।

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम : -

Preliminary Examination for the Posts of	Syllabus	No.of Questions	Marks
ट्रांसलेटर एवं सहायक ग्रेड-3 के सभी पद प्रवर्गों हेतु	(1) सामान्य ज्ञान (G.K.) + सामाजिक विज्ञान Social Science	30	30
	(2) विज्ञान (Maths) + विज्ञान (Science)	20	20
	(3) सामान्य हिन्दी (General Hindi)	10	10
	(4) अंग्रेजी ज्ञान (English Knowledge)	20	20
	(5) कम्प्यूटर ज्ञान (Computer knowledge)	20	20

नोट :- सामाजिक विज्ञान, गणित एवं विज्ञान में अधिकांश प्रश्न मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रचलित या पूर्व में प्रचलित कक्षा 6 से कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे।

प्रक्रिया :-

(1) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तरों को चिन्हित करने हेतु पृथक से एक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जावेगी जो कि OMR शीट के रूप में होगी, जिसमें अभ्यर्थी प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का चुनाव कर ओ.एम.आर. शीट में **काली स्याही के बाल पेन से गोला बनाकर** अपना उत्तर अंकित करेंगे।

(2) प्रारंभिक परीक्षा में ट्रांसलेटर एवं सहायक ग्रेड-3 के सभी पद प्रवर्ग हेतु अभ्यर्थी को उत्तीर्णांक (Passing Marks), जो सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं,

(पिछले पृष्ठ का शेष)

प्राप्त करना आवश्यक है। उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ब) मुख्य परीक्षा (90 अंक) -

मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों/दस्तावेजों का प्राथमिक परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जावेगी एवं ट्रांसलेटर के विज्ञापित पदों के लगभग दस गुना व अन्य सभी प्रवर्ग के पदों के लगभग चार गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से जारी किये जावेंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

S.No.	Post	Subject	Marks	Time
1.	ट्रांसलेटर, (उच्च न्यायालय)	Translation (Hindi to English) Translation (English to Hindi) Vocabulary, Maxims, Legal Terminology Proverbs, Quotations	30 20 25	1.30 Hrs.
		Computer Typing/Operation Knowledge	15	20 मिनिट
2.	सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय)	Hindi Typing English Typing General English Computer Typing/knowledge	30 30 20 10	10 Minutes 10 Minutes 20 Minutes 20 Minutes
3.	सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) एवं सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	Hindi Typing (Matter) Hindi Typing (Dictation) Computer Typing(H+E)/Computer knowledge Stenography	50 10 20 10	20 Minutes 05 Minutes 20 Minutes 15 Minutes
4.	सहायक ग्रेड-3 इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय)	English Stenography & Typing + Computer Typing	70	5+5+20 Minutes
		Hindi Typing + Computer knowledge	20	20 Minutes

नोट :-

(1) ट्रांसलेटर एवं सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) के पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा का केन्द्र जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर रहेगा। सहायक ग्रेड-3, इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय) के पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा का केन्द्र जबलपुर होगा। सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) एवं सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालयों) की मुख्य परीक्षा एक ही होगी एवं इस परीक्षा के केन्द्र जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर एवं कुछ अन्य जिले के मुख्यालय होंगे। सभी पदों के संबंध में मुख्य परीक्षा केन्द्र के निर्धारण का अधिकार प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) को होगा एवं प्रारम्भिक परीक्षा केन्द्र पर ही मुख्य परीक्षा का अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जावेगा। मुख्य परीक्षा की दिनांक एवं परीक्षा केन्द्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

(2) **प्रवेश पत्र -** चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पृथक से वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जावेंगे जिसे वे एम.पी. ऑनलाइन अथवा म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे एवं इसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

(3) सभी पद प्रवर्ग का टायपिंग परीक्षण कम्प्यूटर पर किया जावेगा। टाईपराईटर पर कोई परीक्षण नहीं होगा। सहायक ग्रेड-3, इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय) की मुख्य परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 300 शब्दों का डिक्टेशन अंग्रेजी में दिया जायेगा जिसके बाद 5 मिनिट का विश्राम देकर इसे 20 मिनिट में कम्प्यूटर पर टाईप कराया जावेगा। अर्थात् उक्त परीक्षण 30 मिनिट का रहेगा।

(4) मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम् 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम् 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम् 40 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं। वांछित अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर उक्त न्यूनतम् अर्हकारी अंकों की शर्त को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा शिथिल किया जा सकेगा अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को रिक्त रखा जाकर पुनः विज्ञापित किया जावेगा।

(5) प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम योग्यताक्रम निर्धारित करने में नहीं की जायेगी।

(6) परीक्षा समाप्ति के 6 माह पश्चात्, जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं से संबंधित सभी सामग्री (ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिकाएं, आदि) नष्ट कर दी जायेगी।

(स) साक्षात्कार :- (10 अंक)।

(1) साक्षात्कार मुख्य परीक्षा दिनांक को ही मुख्य परीक्षा के उपरांत लिया जावेगा। लेकिन सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) के पदों हेतु साक्षात्कार मुख्य परीक्षा के बाद की किसी दिनांक को भी लिया जा सकेगा। सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) के ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों से कम अंक प्राप्त करते हैं, को साक्षात्कार से वर्जित किया जा सकेगा।

(2) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(3) साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(3) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

(1) जिला न्यायालयों एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदों हेतु सभी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(2) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(3) वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति करते हों एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हो।

(4) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को मुख्य परीक्षा दिनांक तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(5) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में फोटो परिचय-पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय-पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(6) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।

(7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।

(8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(9) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07-26/96/अ-प्र/दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ 7-2/96/अ-प्र/1 दिनांक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(10) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

रजिस्ट्रार जनरल